संख्या- 510 /2026 /1392/2026/27-2002/37/2024-2

प्रेषक,

रमा कान्त वर्मा,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 24 सितम्बर, 2026

विषय- वित्तीय वर्ष 2026-27 में ए0आई0बी0पी0 पोषित (केन्द्र पोषित) मद के अन्तर्गत नेपाल राष्ट्र के जनपद-नवलपरासी में बड़ी गण्डक नदी के दायें तट पर स्थित लिंक तटबंध पर स्पर सं0-02 के आगे बेडवार व स्ट्ड सं०-1 के एक्सटेंशन तथा नेपाल तटबंध के स्पर सं0-05 व बेडवार सं0-05ए के मध्य लूप बन्द करने के कार्य की परियोजना की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता, अनुसंधान एवं नियोजन (बाढ़), कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या-1279/ काप्रअ/अनिबामं/यू-10/बी-1प्र0/ दिनांक 09-07-2026 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरिसंदर्भित पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के आधार पर निम्नलिखित विवरण की एक अदद् चालू परियोजना पर वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-94 के लेखाशीर्षक-4711-बाढ़ नियन्त्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-01-बाढ़ नियन्त्रण-103-सिविल निर्माण कार्य-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ-0103-त्वरित सिंचाई लाभ परियोजना एवं जल संसाधन कार्यक्रम के अन्तर्गत नेपालराष्ट्र में नदी में सुधार व कटाव निरोधक परियोजनाओं हेतु (ए0आई0बी0पी0 पोषित) (के. 100/रा0-के.)-24-वृहत निर्माण कार्य के अन्तर्गत उपलब्ध बजट व्यवस्था एकमुश्त (चालू श्रेणी) में से रूपये 89,52,000.00 (रूपये नवासी लाख बावन हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति अवमुक्त करते हुये प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के निवर्तन पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख रू0 में)

संगठन/मण्डल/खण्ड	मु0 अभि0 (गण्डक) गोरखपुर/गण्डक सिंचाई कार्य मण्डल-2, गोरखपुर/सिंचाई खण्ड-2, महराजगंज										
(धनराशि लाख रू0 में)											
क्र0 सं0	परियोजना का नाम	अनुदान सं0/ लेखाशीर्षक	वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रविधानित बजट	शासन द्वारा प्रदत्त स्वीकृति का सन्दर्भ शासनादेश सं0 तथा दिनांक	प्रशासकीय स्वीकृति की लागत (a) /गठित अनुबन्ध की लागत (b)	अनुबन्धित लागत के आधार पर कार्य की पुनरीक्षित लागत	गठित अनुबन्ध/ पुनरीक्षित लागत के आधार पर बचत {6(a)-7}	अब तक क्रमिक आवंटन (a)/ क्रमिक व्यय (b)	परियोजना पर आवंटन हेतु अवशेष धनराशि (पुनरीक्षित लागत के सापेक्ष) (7-9) (b)	वित्तीय वर्ष 2026-27 में	
										अनुदान सं0/ लेखाशीर्षक	अवमुक्त की जाने वाली स्वीकृत धनराशि (एकमुश्त चालू से)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94-4711-01-103-01-03-24 त्वरित सिंचाई लाभ परियोजना एवं जल संसाधन कार्यक्रम के अन्तर्गत नेपालराष्ट्र की नदी में सुधार व कटाव निरोधक परियोजनाओं हेतु (ए0आई0बी0पी0 पोषित)											
1	नेपाल राष्ट्र के जनपद-नवलपरासी में बड़ी गण्डक नदी के दायें तट पर स्थित लिंक तटबंध पर स्पर सं0-02 के आगे बेडवार व स्ट्ड सं०-1 के एक्सटेंशन तथा नेपाल तटबंध के स्पर सं0-05 व बेडवार सं0-05ए के मध्य लूप बन्द करने के कार्य की परियोजना । (Latitude:-27.235487"N, 27.234508"N,27.223736"N, Longitude:-83.510686''E, 83.505310''E, 83.511615''E)	94-4711-01-103-01-03-24त्वरित सिंचाई लाभ परियोजना एवं जल संसाधन कार्यक्रम के अन्तर्गत नेपालराष्ट्र की नदी में सुधार व कटाव निरोधक परियोजनाओं हेतु (ए0आई0बी0पी0 पोषित)	0.00	37/2024/141/ 2024/27-2002-3-2024-पार्ट-1-सी-2, दिनांक 20.02.2024	827.87/ 492.64	586.24	241.63	496.72/ 496.72*	89.52	94-4711-01-103-01-03-24	89.52

(रू0 नवासी लाख बावन हजार मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत :इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in/go

नियम व शर्तें/ प्रतिबन्धों

3- उक्त धनराशि का व्यय करने में निम्नांकित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए:-

(1) तालिका में अंकित परियोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक शासनादेश की संख्या-37/2024/141/2024/27-2002-3-2024-पार्ट-1-सी-2, दिनांक 20.02.2024 में निहित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) इस संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2023, दिनांक 28 मार्च, 2026 द्वारा दिए गए दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(3) इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-94 के लेखाशीर्षक-4711-बाढ़ नियन्त्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-01-बाढ़ नियन्त्रण-103-सिविल निर्माण कार्य-01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ-0103-त्वरित सिंचाई लाभ परियोजना एवं जल संसाधन कार्यक्रम के अन्तर्गत नेपालराष्ट्र में नदी में सुधार व कटाव निरोधक परियोजनाओं हेतु (ए0आई0बी0पी0 पोषित) (के. 100/रा0-के.)-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जाएगा।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रूपये 89,52,000.00 (रूपये नवासी लाख बावन हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-094 के लेखा शीर्षक 4711011030103 त्वरित सिंचाई लाभ परियोजना एवं जल संसाधन कार्यक्रम के अन्तर्गत नेपाल राष्ट्र में नदी में सुधार एवं कटाव निरोधक परियोजनाओं हेतु (ए0आई0बी0पी0) (के.100/रा0-के.), मानद मद 24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जाएगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधनित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
(रमा कान्त वर्मा)
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज ।
(2) महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज ।
(3) प्रमुख अभियन्ता (परि0 एवं नियो0),सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0,लखनऊ।
(4) सम्बन्धित जिलाधिकारी।
(5) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, प्रयागराज।
(6) नोडल अधिकारी, बजट एलॉटमेंट सिस्टम, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन।
(7) मुख्य अभियंता, अनु0 एवं नियो0, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0,लखनऊ।
(8) मुख्य अभियंता (बजट), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0,लखनऊ।
(9) सम्बन्धित मुख्य अभियंता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0।
(10) वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0,लखनऊ।
(11) अधीक्षण अभियन्ता, कम्प्यूटर केन्द्र कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, लखनऊ।
(12) वित्त (व्यय नियत्रंण) अनुभाग-8
(13) सिंचाई अनुभाग-9/गार्ड बुक।

आज्ञा से,
रमा कान्त वर्मा
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in/go

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत :इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।